

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाडमेर

पीठारानी अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2026/987-

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 26.02.26

1 दुर्गाराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी हरडुओं की ढाणी, सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

1 खेमाराम पुत्र लिछमणाराम वगैराह जाति जाट निवासी हरडुओं की ढाणी, सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :-740/2025

दिनांक- 09/01/2026

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा हरडुओ की ढाणी पटवार क्षेत्र सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 678/366 रकबा 3.1970 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

दिनांक- 26.02.26

क्रमांक :- रीडर/2026/988-991

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरली तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण रामाराम दुर्गाराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी हरडुओं की ढाणी, सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण खेमाराम पुत्र लिछमणाराम वगैराह जाति जाट निवासी हरडुओं की ढाणी, सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड बाडमेरकारी
बाडमेर